न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0ई0आर0 केश नं0–37 / 2017–18

डा0 प्रतिभा कुमारी

बनाम

दशमत मुर्मू, वगै0

27/9/2019

–: आदेश :–

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का समग्र रूप से अवलोकन किया।

वर्त्तमान प्रक्रिया अंचल अधिकारी, पथरगामा के प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगाना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा कसियातरी के जमाबंदी नं0–47, दाग नं0–223, 232, 231 एवं 295 कुल रकबा–06–12–03 धूर जमीन से विपक्षी दशमत मुर्मू, पे0–शबनम मुर्मू (2) संतोष हेम्ब्रम, पे0–सुरज हेम्ब्रम (3) संझला मुर्मू, पे0–शकनम मुर्मू (4) मोतीलाल टुडू, पे0–मंगल टुडू (5) चन्दर हेम्ब्रम, पे0–सुरज हेम्ब्रम (6) हेमन्त सोरेन, पे0–पुदय सोरेन (7) मुंशी सोरेन, पे0–मंगल सोरेन (8) शिवलाल मुर्मू, पे0–जीवन मुर्मू सभी सा0–कसियातरी, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रारम्भ किया गया है।

अंचल अधिकारी, पथरगामा का प्रतिवेदन है कि सर्वे पर्चा में मौजा कसियातरी थाना नं0–149, जमाबंदी नं0–49, कुल रकबा–06–12–03 धूर जमाबंदी रैयत रोहीन शाहू वो कपूरी शाहू वो पाँचू शाहू पेशरान कलरू शाहू वो शीबु शाहू वल्द लटु शाहू वो वशनी शाहू वल्द जबरनाथ शाहू कौम तेली, शा पथरगामा किस्म रैयत जमाबंदी रैयत कहकर दर्ज है। उक्त जमीन आवेदकगण की पैतृक सम्पति है, और उस जमीन का लगान प्रत्येक वर्ष ग्राम प्रधान के पास जमा करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा बलपूर्वक जमीन को दखल कर रखा है। जिसका नाम इस प्रकार है :–

1. हेमन्त सोरेन, पे0–पुढय सोरेन, सा0–गोबरा (कसियातरी)
2. मुंशी सोरेन, पे0–मंगल सोरेन, सा0– गोबरा (कसियातरी)
3. शिवलाल मुर्मू, पे0–जीवन मुर्मू, सा0– गोबरा (कसियातरी)
4. दशमत मुर्मू, पे0–शबनम मुर्मू, सा0–रमडु (कसियातरी)
5. संतोष हेम्ब्रम, पे0–सूरज हेम्ब्रम, सा0–रमडु (कसियातरी)
6. संझला मुर्मू, पे0–शबनम मुर्मू, सा0–रमडु (कसियातरी)
7. मोतीलाल टुडू, पे0–मंगल टुडू, सा0–रमडु (कसियातरी)
8. चन्दर हेम्ब्रम, पे0–सुरज हेम्ब्रम, सा0–रमडु (कसियातरी)

उपरोक्त सभी अवैध दखलकारों के द्वारा बलपूर्वक जमीन कब्जा कर रखा है। इनका जमबंदी रैयत से कोई सबंध नहीं है। आवेदकगण ने उक्त अवैध ढंग से दखल किया गया

जमीन को खाली कराकर जमावंदी रैयत के वारिसानों को वापस करने हेतु अनुरोध किया है। आवेदकगण जमावंदी रैयत का पोता एवं परपोता है। अंचल अधिकारी द्वारा जं0नं0–49 की जमीन को ज0 रैयत के वारिसानों को वापस करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

विपक्षीगण को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। लम्बी अवधि के बाद भी विपक्षीगण की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण को कुछ नहीं कहना है।

जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत रैयती जमीन है जो गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मौजा कसियातरी जमांवदी सं0–49, कुल रकवा–06–12–03 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रोहिन साहु वो कपूरी साहू वो पाँचू साहू पेशरान कलरू साहु वो शीबु साहु वल्द लटु साहु वो वशनी साहु वल्द जगरनाथ शाहु कौम तेली, शा0 पथरगामा, किस्म रैयत जमांवदी रैयत कहकर दर्ज है। यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का मामला प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा कसियातरी जमावंदी सं0–49 रकवा–06–12–03 धूर जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है। विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि भूमि आवेदक को वापस करें। दखल दिहानी हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी पथरगामा को भेजें। लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा।